न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 50/24 निर्णय दिनांकः 20-2-2026
(जीसीएमएस संख्या 2024/69)

1. धर्मपाल पुत्र श्री रेखा जाति अहीर निवासी चक 1 आर.एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर जरिये मुख्त्यारआम पूनमचंद पुत्र श्री ब्रदीनारायण जाति ब्रहामण निवासी खाजूवाला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. हुसैन खां पुत्र दिले खां जाति मुसलमान निवासी मुगराला तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूगल बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15—09—2023
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री सोमदत पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्तु खां पडिहार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 15—09—2023 जिसके द्वारा वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पोडन्ट को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, पूगल के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट ग्राम सूरासर तहसील पूगल का निवासी है। अपीलांट के नाम गॉव सूरासर के खसरा नम्बर 346/2 की 50 बीघा भूमि गैर खातेदारी थी। जिस पर वादी/अपीलांट को खातेदारी अधिकारी मिलने के बाद वादी द्वारा अपनी 50 बीघा भूमि मे से 17 बीघा भूमि श्री राजेश पंचारिया पुत्र पूनमचंद पंचारिया को विक्रय कर दी। जिस पर उक्त 17 बीघा भूमि का इंतकाल राजेश पंचारिया ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। शेष 33 बीघा भूमि वादी के नाम ही रही। जिस पर आज दिन भी वादी का कब्जा है। उक्त भूमि चकबंदी में आ जाने से उक्त खसरे की भूमि चक 1 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 140/41 में पैमूद हुई और कब्जा वादी/अपीलांट का उक्त भूमि पर निरन्तर रहा है। उक्त भूमि मे से कुछ भूमि वन विभाग द्वारा नहर के लिए अधिकृत की गई और नहर हेतु भूमि अधिग्रहण करने के बाद मुरब्बा नम्बर 140/41 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि पर वादी का बतौर काश्तकार कब्जा है। अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त स्थिति के लिए दिनांक 02–12–2019 को जिला कलेक्टर के मार्फत उपखण्ड अधिकारी, पूगल को निवेदन किया कि तहसील पूगल के चक 1 आर. एम. के मुरब्बा नम्बर 140/41 पर वादी/अपीलांट काबिज है और उपरोक्त प्रकार से वादी/अपीलांट की भूमि ग्राम सुरासर के खसरा नम्बर 346/2 के चकबंदी में आने के बाद लगातार काबिज काश्त है। इसलिए अपीलांट की उक्त भूमि को आवंअन हेतु समिति के समक्ष नही रखी जावे। लेकिन अपीलांट की इस सूचना दिये जाने के बाद भी रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि को किसी और को आवंटन करने हेतु आमदा है।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी उक्त कब्जा काश्त की भूमि को किसी अन्य को आवंटन नही करने, अपने खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाने बाबत दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वाद पत्र पर गौर किये बिना उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेजा फायदा पहुॅचाने की गर्ज से आवंटित कर दी। इस संबंध में अपीलांट को सुनवाई व सबुत पेश करने का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अन्य व्यक्ति के द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत आवेदन करने के पश्चात पत्रावली की जानकारी चाही तो

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की पत्रावली गुम हो जाने का कथन किया। और बाला बाला उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित कर दी गई। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी, पूगल से दिनांक 22–09–2022 को अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की हुई थी। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो किसी पक्षकार को इस आवंटन के बाबत कोई सूचना दी और न ही इसके हेतु कोई अधिसूचना प्रसारित की गई। केवल बाला बाला रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–09–2023 नियमो को ताक पर रखकर पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है, वादग्रस्त भूमि का गजट में साया नही किया जा सकता था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, पूगल दिनांक 15–09–2023 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही रही है। वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 22–09–2022 को स्थगन आदेश होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–09–2023 को उक्त भूमि का आवंटन एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। उक्त आवंटन की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 19–12–2023 को हुई। अपीलांट द्वारा नकल हेतु आवेदन करने पर अपीलांट को दिनांक 16–01–2024 को नकल प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियार शुमार फरमाई जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दायर घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अदम हाजरी/पैरवी/तकमील के अभाव में खारिज हो चुका है। जब मूल अधिकार (खातेदारी) का दावा ही समाप्त हो गया है, तब उसी आधार पर आवंटन आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार शेष नहीं रहता। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया आवंटन राजस्थान उपनिवेशन नियम, 1975 के प्रावधानों के पूर्ण पालन में, सक्षम अधिकारी द्वारा, विधिवत जांच उपरांत किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के पेज नंबर 2 की लाईन 5 पर वर्णित यह कथन कि ग्राम सुरासर तहसील पूगल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिला बीकानेर के खसरा संख्या 346/2 चकबंदी के पश्चात मुरब्बा संख्या 140/41 मे पैमूद हुआ है, पूर्णतः रिकॉर्ड विरोधी, असत्य एवं भ्रामक है। चकबंदी अभिलेखों की सूची संख्या 4 के अनुसार चक 1 आर.एम., हल्का गोगलिवाला, तहसील पूगल, जिला बीकानेर के मुरब्बा संख्या 140/41 का निर्माण खसरा संख्या 20/10 एवं 20/17 से हुआ है, न कि खसरा संख्या 346/2 से हुआ है। अपीलांट धर्मपाल पुत्र रेखा के नाम से चकबंदी पश्चात मुरब्बा संख्या 139/56. 139/64 140/49, 140/57, 159/7 में भूमि दर्ज रही है। चकबंदी के पश्चात उक्त मुरब्बों में भूमि का दर्ज होना यह स्पष्ट करता है कि खसरा संख्या 346/2 से बनी भूमि मुरब्बा संख्या 140/41 में पैमूद नहीं हुई। अतः अपीलांट का यह कहना कि मुरब्बा 140/41 उसकी खातेदारी भूमि है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। अपीलांट की सम्पूर्ण अपील का आधार चकबंदी पैमूदगी के गलत तथ्यों पर आधारित है, जिससे अपील का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है। अपीलांट का का मूल दावा ही राजस्व रिकॉर्ड के प्रतिकूल है। अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत तथ्य प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है रिकॉर्ड–विरोधी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील न केवल निराधार है बल्कि इसे न्यायिक विवेक के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि चक एक आर.एम., मुरब्बा संख्या 140/41, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की भूमि है, जो राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का नाम किसी भी समय खातेदार के रूप में नियमित जमाबंदी में दर्ज नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नियम 1975 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र, समय व प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पात्रता की जांच, निवास की पुष्टि, प्राथमिकता श्रेणी का परीक्षण, के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सर्वोच्च प्राथमिकता का पात्र मानते हुए आवंटन आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपनिवेशन क्षेत्र का पात्र निवासी है, नियम 1975 के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है। जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड परीक्षण उपरांत दिनांक 15.09.2023 को नियम सम्मत आवंटन किया गया। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2011(3) पेज 1215 प्रस्तुत किये।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन यह रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश पारित किये जाने के बावजूद उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। स्थगन आदेश का प्रभाव

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन पर नही, अपीलार्थी द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश दिनांक 22.09.2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वाद में पारित हुआ है। उक्त स्थगन आदेश का प्रभाव केवल पक्षकारों के मध्य कब्जे तक सीमित है, राजकीय भूमि के आवंटन की प्रशासनिक शक्ति पर उक्त स्थगन आदेश नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन की सम्पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए आवंटन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–09–2023 यथावत बहाल रखा जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण मे जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–09–2023 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 31–01–2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह है कि अपीलांट के नाम गाव सुरासर के खसरा नम्बर 346/2 की 50 बीघा भूमि गैर खातेदारी थी जिसकी बाद में खातेदारी हो गई। इसमें से 17 बीघा भूमि अपीलांट द्वारा बेचान कर दी गई शेष भूमि अपीलांट के नाम रही। चकबंदी आने से यह भूमि चक 1 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 140/41 में पैमुद हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की इस भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का आवंटन गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट की जवाब बहस यह रही कि खसरा नम्बर 346/2 चकबंदी में मुरब्बा नम्बर 140/41 में पैमुद ही नही हुआ। इस तरह से रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि का अपीलांट से कोई संबंध नही है।

इस न्यायालय को अपील के निस्तारण हेतु इस बिन्दू पर विनिश्चय किया जाना है कि क्या खसरा नम्बर 346/2 की भूमि चकबंदी में चक 1 आर.एम. की मुरब्बा नम्बर 140/41 में पैमुद हुई अथवा नही?

अपीलांट द्वारा अपील के अभिकथनो के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा सूची नम्बर 4 आदि पेश नही किया जिससे कि यह साबित हो कि खसरा नम्बर 346/2 की भूमि चक 1 आर.एम. की मुरब्बा नम्बर 140/41 में पैमुद हुई हो। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत सूची नम्बर 4 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि चक 1 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 140/41 का पुराना खसरा नम्बर 20/10 व 20/17 थे, **346/2 नही**। इस स्थिति में अपीलांट यह साबित करने में विफल रहे कि खसरा नम्बर 346/2 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित चक 1 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 140/41 की भूमि में पैमुद हुई थी।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो (सूची नम्बर 4) से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि मुरब्बा नम्बर 140/41 तो खसरा नम्बर 346/2 से बने ही नही है। उपुर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील चकबंदी की पैमुदगी के गलत तथ्यो पर आधारित है। जो कि खारिज योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20-2-2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर